हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/46/2024 **Dated Shimla-171002, the** 04-05-**2024**

ORDER

Subject:- **Diversion of 17.84 Ha of forest land for construction of 132 kV MCT line on 220 kV MCTs with ACSR ZEBRA conductor from 220/132 kV Substation proposed at Andheri to Tower No. 20/21 of existing 132 kV Jamta-Kala Amb transmission line at Kala Amb Distt. Sirmour Himachal Pradesh.(Online Proposal No. FP/HP/Trans/157184/2022)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप–कार्यालय शिमला द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या FC/HPC/71/2023 दिनांक 09/01/2024 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **17.84** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

iii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

iv. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 36 हे0 (RF Gumti Sambhalwa C-1=20 ha, and RF Gumti SambhalwaC2=16) पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जाएंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

vi. CEO, State CAMPA, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

S/FCA
APCCF(FCA)
PCCF(HoFF) 7/5/2024
SDA (T)

पावती सं 417
दिनांक 09/05/2024

vii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF & CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नही बदलेंगे।

viii. राज्य वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।

ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

x. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य वन विभाग बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

xi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह–समाप्ति होगी।

xii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

xiii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।

xiv. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

xv. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 27 मीटर होगी।

xvi. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 4.0 मीटर होना चाहिए। कण्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जाएगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा।

xvii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेंगी।

xviii. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लागत पर पक्षियों को तारों से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कन्डक्टर पर पक्षी डिफ्लेक्टर (Bird deflectors) लगाएगी।

xix. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार–विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख–रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी।

xx. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे।

xxi. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

xxii. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

xxiii. केन्द्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।

xxiv. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।

xxv. अन्य कोई भी शर्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़, उप कार्यालय शिमला द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

xxvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

xxvii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** और **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023** में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

xxviii. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। **वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।**

आदेशानुसार,

डॉ0 अमनदीप गर्ग, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार